प्रश्न – **भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की विशेषताओं की चर्चा करें। साथ ही यह भी बताएं कि संविधान किस प्रकार मौलिक अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है?** (150 शब्द)

Discuss the characteristics of the fundamental rights described in the Indian constitution and also, Explain how the constitution of India provides protection to the fundamental rights. (150 Words)

मॉडल उत्तर

- भूमिका में मौलिक अधिकार के महत्व को समझाएं।
- अगले पैरा में विशेषताओं को स्पष्ट कीजिये।
- फिर अगले पैरा में बतायें कि इसे किस प्रकार संरक्षण प्राप्त है।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

मौलिक अधिकार संविधान के भाग-3 में (अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक) वर्णित हैं। ये वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के भौतिक और नैतिक विकास के लिए अनिवार्य है और जिन्हें भारत के संविधान को विशेष संरक्षण प्राप्त है। नैतिक विकास से स्पष्ट है कि चरित्र निर्माण, बेहतर जीवन बनाना, जबकि भौतिक शरीरिक एवं संसारिक जीवन को सुरक्षित करना।

मौलिक अधिकारों की प्रमुख विशेषताएं-

- यह असीमित और निरपेक्ष नहीं है।
- इनका स्वरूप नकारात्मक है।
- कुछ मौलिक अधिकार केवल नागरिकों को प्राप्त है, जबकि कुछ अधिकार भारत में नागरिक व विदेशी दोनों को प्राप्त है।
- नागरिकों को यह अधिकार अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 में है, जबकि अनुच्छेद 21 व अनुच्छेद 25 में नागरिक व विदेशी दोनों को है।
- कुछ अधिकार राज्य के विरूद्ध हैं, जबकि कुछ अधिकार राज्य और निजी व्यक्ति दोनों के विरूद्ध है।
- मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है।
- वर्तमान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार है।

क्यों इन्हें संविधान का विशेष संरक्षण प्राप्त है?

- मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है।
- मौलिक अधिकारों का निलंबन विशेष प्रक्रिया से और विशेष परिस्थिति में ही किया जा सकता है।
- मौलिक अधिकारों में संशोधन सदैव विशेष बहुमत से ही किया जा सकता है।

अंत में संक्षिप्त, संतुलित व सारगर्भित निष्कर्ष दें।

नोटः- प्रश्नानुसार उत्तर के सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है, निर्धारित शब्द सीमा में व्यवस्थित कर विश्लेषण कर सकते है।